

वनभूमि 107.816 हे. बाबत संक्षिप्त विवरण

वेकोलि पाथाखेडा क्षेत्र की संचालित तवा खदान का कुल माईनिंग लिज क्षेत्र 493.728 हे. (वनभूमि 447.236 तथा गैर भूमि 46.492 हे.)। संस्थान द्वारा 339.420 हे. वनभूमि का CBA(A&D) ACT 1957 के तहत खनन अधिकार हेतु नोटिफिकेशन 1997 में किया गया जिसका वन सं0अधि0 1980 के तहत शासन के पत्र कं0 एफ -5/22/91/10/3 दिनांक 06.02.97 के तहत 1349.248 हे0 वनभूमि के साथ खनन अधिकार की स्वीकृति लिया गया।

शेप वनभूमि 107.816 हे. का अधिसूचित सीबीएएक्ट 1957 के तहत नोटिफिकेशन वर्ष 1980 के पूर्व किया गया था। जिसके कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति लिया जाना आवश्यक नहीं समझा गया था तथा भूमि का उपयोग किया गया।

इस परिपेक्ष में भारत सरकार, कोल मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र कं0 43024/ 5/05/ PRIW -1 दि. 21.03.06 एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र दि016.02.2006 द्वारा जो भूमि वर्ष 1980 के पूर्व अधिग्रहीत की गई थी लेकिन खनन कार्य 1980 के बाद किया गया उसका भी वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है, इसिलिए संस्थान द्वारा शेप क्षेत्र 107.816 हे. कार्योत्तर स्वीकृती का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। जिसकी कार्यालयीन प्रक्रिया में विलंब हुआ।

आवेदित क्षेत्र 107.816 हे0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

कं0	अधिसूचना कं0	दिनांक	प्रस्तावित वनभूमि
1	2760	19.09.1963	95.016
2	4055	.11.10.1971	.8.500
3	290	18.12.1971	.4.300
कुल आवेदित क्षेत्र			107.816 हे0


क्षेत्रीय योजना अधिकारी,
पाथाखेडा क्षेत्र